राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दीवानी विविध अपील नं. 1330/2017

श्रीमती रूक्मणी शर्मा व अन्य

बनाम

श्रवण कुमार ठाकुर व अन्य

आदेश दिनांक : 29.01.2020

माननीय न्यायाधिपति श्री अभय चतुर्वेदी

श्री रामसिंह राठौड, अधिवक्ता–अपीलार्थी की ओर से।
श्रीमती रजनी व्यास, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–3 बीमा कम्पनी की ओर से।

सुना गया, प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया।

प्रत्यर्थी संख्या–3 की तामील हेतु कारण बताओ नोटिस इस प्रकार जारी किये जावें कि **"क्यों न अपील गृहणार्थ की अवस्था पर ही प्रकरण का अंतिम निस्तारण कर दिया जावे**। अधीनस्थ अधिकरण का अभिलेख भी तलब किया जावे।

प्रत्यर्थी संख्या–3 बीमा कम्पनी की पैनल अधिवक्ता श्रीमती रजनी व्यास ने उपस्थित होकर नोटिस प्राप्त करना स्वीकार किया। तदनुसार प्रत्यर्थी संख्या 3 की तामील पर्याप्त मानी जाती है।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–3 ने अपने निर्देश पूर्ण करने के लिए एक सप्ताह का समय दिये जाने का निवेदन किया, जो दिया जाता है।

प्रकरण एक सप्ताह पश्चात् पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(अभय चतुर्वेदी)
न्यायाधिपति

मित्तल/40